

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

ना-पत्र सं.

धारा अंतर्गत

ग्राम

तहसील

2/22

188 RTA

रानीहेडा

बारां

वादी

वाद शीर्षक

प्रतिवादी

शोभागमल

बनाम

अधीक्षण अभियन्ता, सार्व0नि0वि0

वकील :-

श्री ओम भाद्राज, एड0

आदेश पत्रक

वकील:-

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

17.11.2022

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.01.2023 को पेश हो।

21-23

गैठसीन अधिकारी ~~...~~ में रहने से पूर्ववत दिनांक 28-2-23 को प्रस्तुत की।

रीडर

उप खण्ड अधिकारी बारां

28-2-23

गैठसीन अधिकारी ~~...~~ में रहने से पूर्ववत दिनांक 1-5-23 को प्रस्तुत की।

रीडर

उप खण्ड अधिकारी बारां

1-5-23

गैठसीन अधिकारी ~~...~~ में रहने से पूर्ववत दिनांक 1-5-23 को प्रस्तुत की।

रीडर

उप खण्ड अधिकारी बारां

12-6-23

गैठसीन अधिकारी ~~...~~ में रहने से पूर्ववत दिनांक 21-7-23 को प्रस्तुत की।

रीडर

उप खण्ड अधिकारी बारां

21-7-23

गैठसीन अधिकारी ~~...~~ में रहने से पूर्ववत दिनांक 22-9-23 को प्रस्तुत की।

रीडर

उप खण्ड अधिकारी बारां

22-9-23

गैठसीन अधिकारी ~~...~~ में रहने से पूर्ववत दिनांक 21-11-23 को प्रस्तुत की।

रीडर

उप खण्ड अधिकारी बारां

2-1-25

पञ्जावली पेशा डूँडे) वरील वादी एवं उद्दिवादी उणो  
 नही। वरील वादी एवं उद्दिवादी हे तीन बाप  
 आताज नमोवात्रे गेले। वाक्यरूप प्रथमा हे वरील  
 वादी एवं उद्दिवादी न्वापात्पण हे उणो नही। अतः  
 वादी ना वाद अदम हाजरी अदम पत्रवी हे  
 वात्रीज लिपा जम्रा हे उपजावती फलत्तमुभाप  
 दीप्य बाप वात्रील तन्मील हे दासिल दफ्तरी

